


## पंजीकृत पावती उल्लंघन पत्र नोटिस

भारत सरकार  
खान मंत्रालय  
भारतीय खान ब्यूरो  
क्षेत्रीय खान नियंत्रक कार्यालय  
कर्मयोगी भवन, चतुर्थ माला, ब्लॉक-2, सी विंग,  
सेक्टर-10A, गांधीनगर, गुजरात, 382010



Tel- 079 29750358 /29750359; ई-मेल/ E-mail: ro.gandhinagar@ibm.gov.in

पत्रावली संख्या: गुज/जूना/चूप-211 Mine code 38GUJ08271

ID

दिनांक: 23.01.2024

सेवा में : सर्वश्री GHCL लि

सूत्रापाडा- 362 275

तालुका - वेरावल, जिला - गिर सोमनाथ, गुजरात

e mail – mining@ghcl.co.in

विषय: गुजरात राज्य के जिले- गिर सोमनाथ की तालुका- वेरावल में स्थित आपकी नखाडा चूनापत्थर खान, क्षेत्रफल- 77.8012 हे. में खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली, 2017 के नियमों का उल्लंघन।

महोदय,

आपकी उपरोक्त खान का स्टार रेटिंग निरीक्षण अधोहस्ताक्षरी द्वारा दिनांक 05.12.2023 को श्री पी. मुरली मोहन, खान प्रबंधक की उपस्थिति में किया गया तथा उक्त निरीक्षण के समय खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली, 2017 के निम्नलिखित नियमों का उल्लंघन पाया गया-

नियम सं.	उल्लंघन के प्रकार का विस्तृत ब्योरा
11(1)	इस कार्यालय के पत्र संख्या 684(4)(1)/MP-371/2021-22MDRD(N)GNR दिनांक 08.02.2022 के द्वारा अनुमोदित रिव्यू खनन योजना के निम्नलिखित प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए खनन कार्य किया जा रहा है- (?) अनुमोदित खनन योजना के बिंदु संख्या 6.2.3 के अनुसार वर्ष 2022-23 में खान पर किए गए वृक्षारोपण की Survival रेट 60% रखी जानी थी, लेकिन निरीक्षण के समय Survival रेट 54% ही पायी गयी।

०२. इस संदर्भ में आपका ध्यान आकर्षित किया जाता है कि उपरोक्त नियमों का उल्लंघन खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली, 2017 के नियम 62 के अंतर्गत दंडनीय अपराध है।


०३. खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली, 2017 के नियम संख्या 11(1) तथा अन्य नियमों की पालना नहीं होने से व्यवस्थित एवं वैज्ञानिक तरीके से खनन पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। अतः उपरोक्त

1/23978/2024

नियमों की पालना नहीं करने पर नियम 11(2) के अंतर्गत खनन क्रियाएं स्थगित (निलंबित) की जा सकती हैं अथवा राज्य सरकार को उचित कार्यवाही करने की अनुशंसा भी की जा सकती है।

०४. अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि आप उपरोक्त उल्लंघनों का अति शीघ्र सुधार कर इसके सुधार की स्थिति की सूचना इस पत्र के जारी होने की तिथि से ४५ (पैंतालिस) दिनों के भीतर इस कार्यालय को प्रेषित करें।
०५. यह उल्लंघन पत्र क्षेत्रीय खान नियंत्रक के अनुमोदन पश्चात जारी किया जा रहा है।

भवदीय



( मनीष गुप्ता )

की. प्र.  
सहायक खान नियंत्रक  
भारतीय खान ब्यूरो

प्रतिलिपि (मूल पर नहीं) -

१. खान नियंत्रक (उत्तर), भारतीय खान ब्यूरो, उदयपुर को सूचनार्थ प्रेषित।
२. आयुक्त, भू विज्ञान एवं खनन, गुजरात सरकार, पुराना सचिवालय, ब्लॉक नं.- 15, डा जीवराज मेहता भवन, सैक्टर- 10, गांधीनगर को सूचनार्थ प्रेषित ।
३. रक्षित पत्रावली।

सहायक खान नियंत्रक  
भारतीय खान ब्यूरो

की. प्र.